

फर्द अहकाम

19/1/26 पत्रावली पेश हुई। वकील साफल  
उपरो पत्रावली वाले पक्ष डि० 17/2/26 को  
पेश है।

17/2/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील साफल  
उपरो मूल दावा सं: 77/2017 डि० हो चुका है  
इसलिए निरीक्षण प्रा० पत्र को चलाने का कोई  
कौचिद्व नहीं रह जाता है।

अतः मु० नं० 134/2017 उनवानी  
नन्दीवानी वनाम अलीमुद्दीन काँ० प्राचीन  
पत्र कायमी रितीवाँ खारिज किया जाता है।  
पत्रावली केसल सुमाट होकर बाद तमरी  
नम्बर से कम ही जाकर मूल दावा के साथ  
शामिल मिल रहे।

कोर्ट के खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।